

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर एन0डी0पी0एस0 एक्ट में अभियुक्त को 08 माह के कारावास व ₹5,000 रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिंवार में पंजीकृत मु0अ0सं0 173/2021 धारा–8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंगस्टर कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **सदाम खां पुत्र हमीद खां** नि0 निवादा थाना बिंवार जनपद हमीरपुर **08 माह के कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड** से दण्डित किया गया।



अभियोजक-एडीजीसी प्रवीण सिंह भदौरिया



विवेचक-30नि0 राकेश द्विवेदी



पैरोकार- थाना बिवार का0 प्रेम सिंह